संख्या /VI-I/2008–2(15) 2007

प्रेषक,

एस0एस0वल्दिया,,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
युवा कल्याण एव प्रान्तीय रक्षक दल,
देहरादून।

युवा कल्याण अनुभागः देहरादून दिनांक 29 मई 2007

विषयः वित्तीय वर्ष 2008–09 में विभिन्न मदों/योजनाओं में प्राविधानित धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के पत्र संख्या–267/XXVII(1)/2008 दिनांक 27 मार्च 2008,शासनादेश संख्या–326/XXVII(1)/2008 दिनांक 23 अप्रैल 2008 एवं शासनदेश संख्या–121/VI-I/2008–2(15) 2007TC के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि युवा कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड के वित्तीय वर्ष 2008–09 के आयोजनेत्तर पक्ष में प्राविधानित धनराशि में रू0 700 लाख (रू0 सात लाख मात्र) की धनराशि निम्न शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन संलग्न विवरणानुसार श्री राज्यपाल महोदय आपके निर्वतन पर रखते हुए व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

अनुदान संख्या –19
लेखाशीर्षक –2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम
800–अन्य व्यय
0802–युवा कल्याण (क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी) सम्बन्धी अधिष्ठान

आयोजनेत्तर (धनराशि हजार में)

क0स0	मानक मद	आय व्यय में प्राविधान	वर्तमान में स्वीकृत की जा रही धनराशि
1	2	3	4
1.	04 यात्रा व्यय	500	500
2.	05–स्थानान्तरण यात्रा व्यय	100	100
3.	45–अवकास यात्रा व्यय	100	100
	योग–	**700**	**700**

उक्त स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबंध के साथ स्वीकृत की जाती है कि उक्त के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–267/ XXVII(1)/2008 दिनांक 27 मार्च 2008 में विहित शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा उक्त पत्र के साथ संलग्न प्रारूप पर सूचना उपलब्ध कराई जायेगी अवचनबद्ध मदों में व्यय करने से पूर्व वित्त विभाग की सहमति प्राप्त किया जायेगा। मितव्ययी मदों में आवटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आंवटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नही देता जिसे व्यय करने के लिए बजट मैनुअल या वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिए।

2, धनराशि उसी मद में व्यय की जाय जिसके लिए स्वीकृत की जा रही है। व्यय में मितव्ययता के सम्बंध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाय। स्वीकृत धनराशि के व्यय के विवरण शासन तथा महालेखाकार को नियमित रूप से भेजे।

4.. धनराशि का एक मुश्त आहरण न करके आवश्यकतानुसार मासिक व्यय की समय सारिणी बनाकर ही आहरण किया जायेगा। आवंटित धनराशि की व्यय की संकलित सूचना बी0एम0–13 पर प्रतिमाह अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दी जायेगी।

5. धनराशि का किसी भी दशा में व्ययवर्तन नही किया जायेगा। धनराशि उसी मद में व्यय की जाय जिसके लिए स्वीकृति की जा रही है। व्यय में मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाय। स्वीकृत धनराशि के व्यय के विवरण शासन तथा महालेखाकार को नियमित रूप से भेजे।

6. धनराशि का आहरण की परिव्यय की सीमान्तर्गत ही किया जाय, किसी भी दशा में धनराशि का आहरण परिव्यय एवं बजट व्यवस्था की सीमा से अधिक नही किया जायेगा।

7. इस सम्बंध में अबचन बद्ध मद में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2007–08 उपर्युक्त अनुदान संख्या–19 के लेखाशीर्षक –2515 के आयोजनेत्तर पक्ष के विभिन्न मानक मदों के नामें डाला जायेगा।

भवदीय,

(एस0एस0वल्दिया)
उपसचिव

पृष्ठांकन संख्याः–149/VI-I/2008–2(15) 2007 तददिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी,उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– निजी सचिव, मा0 युवा कल्याण मंत्री उत्तराखण्ड शासन को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ प्रेषित किये जाने हेतु
3– अपर सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
4– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
5– वित्त अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन।
6– एन0आई0सी0, देहरादून।
7– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार शर्मा)
अनुसचिव